

**शिक्षा विभाग**

2. राज्य के अराजकीय वर्गीकृत प्रमंडलीय, जिला केन्द्रीय एवं अनुमंडलीय पुस्तकालय के कर्मियों को पुनरीक्षित दरों पर 1989-90 से 2012-13 तक के बकाया वेतन का अनुदान एवं वर्ष 2013-14 का पुनरीक्षित दर पर अनुदान के भुगतान के लिए कुल ₹ 7,05,07,075.00 (सात करोड़ पाँच लाख सात हजार पचहत्तर रुपये) की स्वीकृति एवं उक्त राशि बी०सी०एफ० से अग्रिम के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति तथा विमुक्ति के संबंध में।
2. स्वीकृत।

**शिक्षा विभाग**

3. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के संचालन हेतु पूर्व से सृजित पदों में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।
3. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

4. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को राज्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न मशीन उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष-2008-09 में उपलब्ध कराई गई राशि रु० 15,50,50,000/-से अब तक व्यय के उपरान्त अवशेष राशि रु० 12,79,39,747/-(रु० बारह करोड़ उनासी लाख उन्वालीस हजार सात सौ सैतालिस) मात्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के उपबंध से रु० 4,00,00,000/-(रु० चार करोड़) मात्र शामिल करते हुए मशीन उपकरणों के क्रय में परिवर्तित रूप से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
4. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

5. गैर-योजनान्तर्गत जय प्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग पटना में स्थित मॉडल ब्लड बैंक को सुचारु रूप से चलाने हेतु निदेशक, चिकित्सा पदाधिकारी, पारामेडिकल स्टाफ एवं सामान्य कोटि के 24 पदों के सृजन एवं आउटसोर्स से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, रिसेप्सनिस्ट चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, चपरासी, गार्ड, स्वीपर, वाहन चालक सहित कुल 15 मानव शक्ति की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति।
5. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

6. सदर अस्पताल, सुपौल में अतिरिक्त 150 शय्या वाले भवन के निर्माण हेतु रु० 24,50,00,000/-(चौबीस करोड़ पचास लाख रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
6. स्वीकृत।

### शिक्षा विभाग

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-20780 /2010 में पारित आदेश के अनुपालन में वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षकों की छँटनी की अवधि (वर्ष 1992 से वर्ष 1998) की गणना वैचारिक (नोशनल) रूप से पेंशन प्रयोजनार्थ करने की स्वीकृति के फलस्वरूप वर्ष 1998 में समायोजन की तिथि से वेतन निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
7. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. मधुबनी जिलान्तर्गत लदनिया अंचल के मौजा-पिपराही, थाना सं०-143, खाता सं०-517, खेसरा सं०-2809, रकबा-3 एकड़ किस्म परती गैर मजरूआ आम भूमि को एस०एस०बी० कैम्प, पिपराही के निर्माण हेतु रु० 15,30,000 (पन्द्रह लाख तीस हजार) सलामी एवं सलामी के 5% वार्षिक लगान के 25 गुणा अर्थात् 19,12,500 (उन्नीस लाख बारह हजार पाँच सौ) रूपया पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 34,42,500 (चौतीस लाख ब्यालीस हजार पाँच सौ) रूपया के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तांतरण।
9. स्वीकृत।

### समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

10. वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम "सहारा" का संचालन तथा इसके कार्यान्वयन हेतु 200.00 लाख (दो सौ लाख) रु० राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

### समाज कल्याण विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड, पटना के मुख्यालय स्थापना के संधारनार्थ राज्यांश अनुदान के रूप में कुल 38,45,000/- (अड़तीस लाख पैतालीस हजार) रूपये मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
11. स्वीकृत।

### संसदीय कार्य विभाग

12. पंचदश बिहार विधान सभा का नवम् सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

### संसदीय कार्य विभाग

13. पंचदश बिहार विधान सभा का दशम्-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् का 174वें सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में।
13. स्वीकृत।

### कृषि विभाग

15. किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2013-14 में 5073.735 लाख रू० (पचास करोड़ तिहत्तर लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ रू० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति। 15. स्वीकृत।

### खान एवं भूतत्व विभाग

16. स्व० मेघनाथ राम, तत्कालीन अपर निदेशक, खान को दिनांक-27.03.97 के बदले दिनांक-01.06.95 के प्रभाव से अपर निदेशक खान के पद पर प्रोन्नति के संबंध में। 16. स्वीकृत।

### निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

17. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के विभागीय मुख्यालय के अधीन जुलाई 2012 से पे बैण्ड 5200-20200+ग्रेड पे 1650/-में कार्यालय परिचारी का एक अधिसंख्य पद एवं पे बैण्ड 5200-20200+ग्रेड पे 1800/-में फरास का एक अधिसंख्य पद सृजन का प्रस्ताव। 17. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. पूर्णिया जिलान्तर्गत बायसी अंचल, मौजा-चरैया, थाना सं०-414, खाता सं०-456 के खेसरा सं०-282 का 5.37 एकड़ एवं खेसरा सं०-283 का 1.45 एकड़ तथा खेसरा सं०-284 का 5.10 एकड़ कुल 11.92 एकड़ किस्म सड़क भूमि जो पी०डब्लू०डी० की है, को डिग्री महाविद्यालय, बायसी की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण। 18. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. पूर्णिया जिले के अंचल पूर्णिया पूर्व के वार्ड सं०-12, खाता सं०-1443, खेसरा सं०-2477 'क' अंश, रकबा- 0.12 एकड़ (5250 वर्ग फीट), खास महाल, बिहार सरकार, किस्म सहन भूमि जो समाहरणालय परिसर के अन्तर्गत है, को नागरिक सुरक्षा कार्यालय हॉल एवं गोदाम हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण। 19. स्वीकृत।

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

20. बांका जिलान्तर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत, विद्युत शक्ति उपकेन्द्र 33/11 के०भी० के निर्माण हेतु अंचल-फुल्लीदुमर मौजा-कोड़ी, थाना सं०-04, खाता सं०-405, खेसरा सं०-350, रकबा-0.25½ एकड़ गैर मजरूआ आम, किस्म भूमि परती कदीम, खेसरा सं०-406 रकबा- 0.28¼ एकड़ गैरमजरूआ आम किस्म भूमि झील, खाता सं०-404 खेसरा सं०-354 रकबा-0.06½ एकड़ गैरमजरूआ मालिक ठीकेदार किस्म बाँध भूमि कुल रकबा-0.60 ¼ एकड़ भूमि 2,59,858 (दो लाख उनसठ हजार आठ सौ अंठानवे) रूपया सलामी एवं सलामी के 2% का 25 गुणा अर्थात् 1,29,929 (एक लाख उनतीस हजार नौ सौ उनतीस) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 3,98,787 (तीन लाख अंठानवे हजार सात सौ सतासी) रूपया के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तांतरण।

20. स्वीकृत।

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

21. मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी अंचल के मौजा- नहरनियाँ, थाना सं०-6, खाता सं०-130 पुराना (858 नया) खेसरा सं०-978 पुराना (2607 नया) रकबा- 1.04 एकड़ पुरानी परती, अनाबाद बिहार सरकार भूमि को 14वीं० एस०एस०बी० कैम्प नहरनियाँ के निर्माणार्थ 4,68,000 (चार लाख अड़सठ हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 5 % वार्षिक लगान के 25 गुणा अर्थात् 5,85,000 (पाँच लाख पचासी हजार) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 10,53,000 (दस लाख तिरपन हजार) रूपया के भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्थायी हस्तांतरण।

21. स्वीकृत।

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

22. अररिया जिलान्तर्गत अंचल-नरपतगंज के मौजा-घुरना, थाना नं०-188, खाता नं०-488, खेसरा नं०-554, एवं 555, रकबा-क्रमशः 0.20 एकड़ (बीस डिसमिल), 0.40 एकड़ (चालीस डिसमिल), कुल रकबा 0.60 एकड़ (साठ डिसमिल), गैर मजरूआ आम, किस्म पुरानी परती भूमि 1,96,560/- (एक लाख छियानवे हजार पाँच सौ साठ) रूपये सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत अवासीय लगान के 25 गुणा अर्थात् 98,280/- (अंठानवे हजार दो सौ अस्सी) रूपये पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 2,94,840/- (दो लाख चौरानवे हजार आठ सौ चालीस) रूपये भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण।

22. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. अररिया जिलान्तर्गत अंचल-अररिया के मौजा- कुसियारगाँव, थाना सं०-286, खाता नं०-634, खेसरा नं०-1493, रकबा-0.50 एकड़ (पचास डिसमिल) गैर मजरूआ आम किस्म पुरानी परती भूमि 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) रूपये सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत अवासीय लगान के 25 गुणा अर्थात् 87,500 (सतासी हजार पाँच सौ) रूपये पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 262,500 रूपये के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण।
23. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

24. जहानाबाद जिलान्तर्गत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु अंचल-जहानाबाद मौजा-जमुआवाँ थाना नं०-352 खाता नं०-224, 152, 295 खेसरा नं०-315, 316, 321 क्रमशः 1.00, 1.80 एवं 1.31 कुल रकबा-4.11 एकड़ गैर मजरूआ मोकरीदारान परती भूमि श्रम संसाधन विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।
24. स्वीकृत।

### विधि विभाग

25. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली-1996 का संशोधन।
25. स्वीकृत।

### मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

26. राज्यपाल सचिवालय, बिहार में महामहिम राज्यपाल को निजी कर्मियों की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।
26. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

27. सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर अंचल के मौजा- आसनपुर कुपहा, थाना सं०-93, खाता सं०-346 खेसरा सं०- 361 एवं 1348 रकबा - क्रमशः 80 एकड़ एवं 30.23 एकड़ कुल रकबा-110.23 एकड़ (एक सौ दस एकड़ तेईस डिसमिल), अनाबाद बिहार सरकार भूमि जो एन० एच०-57 पक्की सड़क से उत्तरी भाग में है, को 18वीं० बटालियन एस०एस०बी० वीरपुर के प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना हेतु बाजार मूल्य के समतुल्य 11,02,30,000 (ग्यारह करोड़ दो लाख तीस हजार रूपया) सलामी एवं सलामी के 5% वार्षिक लगान के 25 गुणा अर्थात् 13,77,87,500 (तेरह करोड़ सतहत्तर लाख सतासी हजार पाँच सौ) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 24,80,17,500 (चौबीस करोड़ अस्सी लाख सत्रह हजार पाँच सौ) रूपया के भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्थायी हस्तांतरण।
27. स्वीकृत।

**आपदा प्रबंधन विभाग**

28. माह जून 2013 में उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति एवं इस योजना में बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़ रुपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

28. स्वीकृत।